

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2021 — आषाढ़ 29, शक 1943

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-04/आठ-परि./2021.— सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007 (2007 का संख्या 41) की धारा 19 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सूची में वर्णित सभी अधिकारियों को, उनके अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर कारित किए गए अपराध, जो उक्त अधिनियम, की धारा 18 में वर्णित, दण्डनीय है, का प्रशमन, ऐसी राशि जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (1) में वर्णित है, से करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

1. परिवहन आयुक्त
2. अपर परिवहन आयुक्त
3. जिला दण्डाधिकारी
4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
5. अनुविभागीय दण्डाधिकारी
6. संयुक्त परिवहन आयुक्त
7. उप परिवहन आयुक्त
8. सहायक परिवहन आयुक्त
9. वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
11. अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
12. सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
13. जिला परिवहन अधिकारी
14. परिवहन निरीक्षक

## 15. परिवहन उप निरीक्षक

यह अधिसूचना राजपत्र में इसमें प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 12th July 2021

## NOTIFICATION

No. F 5-04/VIII-Trans./2021.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of the Carriage by Road Act, 2007, (No. 41 of 2007), the State Government, hereby, authorizes all officers mentioned in list below to compound offences committed within their respective jurisdiction which are punishable under section 18 of the said act, for such amount as mentioned under sub-section (1) of Section 18 of the said Act, namely :-

1. Transport Commissioner
2. Additional Transport Commissioner
3. District Magistrate
4. Additional District Magistrate
5. Sub-Divisional Magistrate
6. Joint Transport Commissioner
7. Deputy Transport Commissioner
8. Assistant Transport Commissioner
9. Senior Regional Transport Officer
10. Regional Transport Officer
11. Additional Regional Transport Officer
12. Assistant Regional Transport Officer
13. District Transport Officer
14. Transport Inspector
15. Transport Sub-Inspector

This Notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
VIJAY KUMAR DHURWE, Joint Secretary.